एमबीबीएस कहीं का, प्रैक्टिस से पूर्व देना होगा नीट-पीजी

केन्द्र सरकार की एमबीबीएस कोर्स के बाद निजी प्रेक्टिस से पहले बड़ा बदलाव करने की तैयारी

जयपुर। देश भर में एमबीबीएस डिग्री लेने वाले डॉक्टरों को अब निजी प्रैक्टिस या सरकारी नौकरी करने से पहले एक अतिरिक्त परीक्षा और पास करनी होगी। अभी तक इस तरह की परीक्षा विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाले के लिए ही थी। सूत्रों के अनुसार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और संसदीय स्थायी समिति के प्रस्ताव पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अंतिम निर्णय करने जा रहा है। जिसके तहत इस साल दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय सह पात्रता परीक्षा नीट पीजी 2016 को ही इस एमसीआई एक्जिट परीक्षा का रूप दिया जाएगा।

इस परीक्षा में ही विदेशों से डिग्री लेने वाले और भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर हिस्सा लेंगे। जो परीक्षा में पास होगा, उसे ही प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलेगी। इस परीक्षा की वरीयता सूची में रहने वालों को पीजी में प्रवेश मिल जाएगा।

पहले भी थी कोशिश

जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय मंत्रालय और एमसीआई के स्तर पर यह प्रयास करीब एक साल से चल रहा है। उस समय एक्जिट परीक्षा की तैयारी थी। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट से कुछ समय पहले ही अंतिम निर्णय आने के बाद केन्द्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

विदेशी डिग्री धारियों को थी दिक्कत

अभी तक विदेशों से डिग्री लेने वाले एमबीबीएस डिग्रीधारियों के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन की ओर से लिया जाने वाला फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेस या एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य थी। जिसमें आरोप यह भी लगाए जाते रहे थे कि इस परीक्षा में जान बूझकर कठिन प्रश्न पत्र रखे जाते थे। जिससे अति संसाधन युक्त देशों के मेडिकल कॉलेजों से डिग्री लेने वाले भारत के होनहार छात्र भी पास नहीं हो पाते थे। अब यह परीक्षा समान रूप से सभी के लिए आयोजित किए जाने की तैयारी है।

जून 2015 में लिया था निर्णय

दरअसल, जून 2015 में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से निकलने के बाद गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक्जिट परीक्षा का निर्णय किया था। इसमें पास नहीं होने वालों को दो साल ग्रामीण सेवा में भेजने की तैयारी थी। लेकिन यह निर्णय कोर्ट में चला गया था।